विदेशी निवेश प्रस्तावों को नयी औद्योगिक नीति, 1991 के अनुसार मंजूरी दी जाती है ।

Actual inflow of foreign direct investment

7011. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that actual inflow of foreign direct investments funds into India during 1993 totalled Rs. 1186 crores out of Rs. 8,859 crore from FDI approvals in the year;

(b) what is the reasons for only 20 per cent investment of the total clearance;

(c) whether it is a fact that bureaucratic hurdles at middle and ground level have not disappeared;

(d) if so, what are the hurdles and number of hurdles at various levels after the first clearance;

(e) what are the loopholes at implementing stages after the approval given to it; and

(f) what is total clearance of FDI including NRI proposals to this day?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) During the year 1993 proposals involving foreign direct investment of Rs. 8859.33 crores have been approved. The RBI has reported that acual inflow of foreign direct investment during the year 1993 is estimated at Rs. 1786.00 crores. A large portion of the foreign direct investment approved is in mega projects such as power, oil refinery with long gestation period. Inflow of foreign investment in Indian companies depend on the gestation of projects or industries which vary from project to project/industry to industry

(c) to (e) Various entrepreneurs often complain in regard to the difficulties experienced by them in getting speedier environmental clearance from State Pollution Control Boards, sanction for power and other infrastructure facilities for setting up the projects at State level. It has been Govt's endeavour to constantly interest with State Governments with a view to simplify the various procedures and remove bottlenecks. The process of simplification/rationalisation of various rules and regulations a State level is an on-going process.

(f) During the post policy period, Government have cleared 1890 number of foreign direct investment proposals, including NRI proposals, envisaging foreign direct investment of Rs. 1436.21 crores till the end of March, 1994.

मध्य प्रदेश में बिलासपुर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी

7012. **श्री गोविन्दराव निरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में अर्थात् बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दैनिक भत्ते पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या उद्योगवार और श्रेणीवार क्या है और इन में से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, जमीन अधिग्रहीत और स्थानीय लोगों की पदवार संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन संस्थाओं में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां हैं ; और यदि हां, तो उनका उद्योगवार और पदवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भरती और पदोन्नति के मामले में सरकारी निर्देशों का पालन किया जाता है

(घ) क्या इन उद्योगों में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के

कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई रोस्टर रखा जाता है ; और

(ङ) क्या सरकारी अनुदेशों के उल्लघन करने वालों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कारंवाई की गयी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को सरकारी उद्यमों मे निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों पर भर्ती करने, पदोन्नति देने आदि के मामले में पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है और ऐसा करने से पूर्व उनके लिए सरकार को सुचित करना या सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । सरकारी उपक्रमों द्वारा की गई भर्ती आदि से सम्बंधित आकड़े सरकार में किसी एक स्थान पर नहीं रखे जाते । बहरहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उपक्रमों की भर्ती, पदोन्नति, रोस्टर के रखरखाव, दिहाड़ी कामगारों की सेवाए प्राप्त करने आदि से सम्बन्धित मामलों के सामान्य अनुदेशों का अनुपालन करना पड़ता है ।

दिल्ली में फैक्टरी के लिए लाइसैंस

7013. मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में फैक्टरी के लिये लाइसेंस उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह घोषणा काफी विलम्ब के बाद की गयी थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में औद्योगिकीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम0 अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र में स्थित और 31-12-93 को काम कर रहे औद्योगिक एकक तदर्थ पंजीकरण, 1994 के लिए पात्र हैं :—

1. बाउंडरी के भीतर शहर और अन्य निर्मित क्षेत्र ।

2. दिल्ली सुधार निकाय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं ।

3. 1947-57 के बीच पुनर्वास मत्रालय द्वारा कार्यान्वियन योजनाए ।

4. पुनर्वास बस्तियां ।

5. शहरी गांव ।

6. अनधिकृत नियमित बस्तियां ।

तदर्थ पंजीकरण योजना निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगी :—

1. नयी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी क्षेत्र ।

2. विकसित आवास योजनाएं और आयोजित आवास योजनाएं तथा 1957 के पश्चात् योजनाबद्ध बस्तियां ।

3. वे अनधिकृत बस्तिया जिन्हें नियमित नहीं किया गया है ।

4. झुग्गी-झोपड़ी बस्ती ।

5. कर्मचारी आवास बस्तियां ।

6. ग्रामीण प्रबन्ध । घरेलू और ग्रामीण औद्योगिक एकक । दिल्ली नगर